



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद दिनांक 21-12-2024

कन्विक्शन (दोषसिद्ध) अभियान के अन्तर्गत हत्या के मामले में अभियुक्तगण 1.अकरम शेख 2.कासिम 3.रिजवान को मा० न्यायालय द्वारा प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 20000 रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे कन्विक्शन (दोषसिद्ध) अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद महोदय के निर्देशन में जनपद मुरादाबाद में दिनांक 21.12.2024 को अभियोजन एवं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप निम्न प्रकरण में न्यायालय द्वारा अपराधियों को दण्डित किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है-

थाना – मैनाठेर / मु०अ०स० 214/2022 धारा 302/34 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट

मुकदमा वादी का नाम पता – अजहर उर्फ नन्हे पुत्र मौ० जमर खां नि० ग्राम मल्हूपुरा हत्दोडांडी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद

आरोपित का नाम व पता – अभिगण० 1.अकरम शेख पुत्र सत्तार नि०मढ़न असमौली सम्भल० 2. कासिम पुत्र हसमत नि० रायपुर खुर्द थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा 3.रिजवान पुत्र सल्लू उर्फ सकटू नि० नहरौली थाना एचोड़ा संभल

घटना का दिनांक – 23.07.2022, घटनास्थल – गांगन तिराहा।

पैरोकार का नाम – हे०कां० अनेकपाल थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद

कोर्ट का नाम संख्या और जज का नाम – मा० न्यायालय ए०डी०जे० 5 कोर्ट – श्री अंचल लवानिया

सरकारी वकील का नाम – (ए०डी०जी०सी०)- श्री कौशल कुमार, श्री रणजीत सिंह राठौर

विवेचक का नाम- नि०श्री तेजवीर सिंह थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद

घटना का सक्षिप्त विवरण – अभिगणों द्वारा मृतक को मारपीट व गोली मारकर हत्या करना।

सजा और जुर्माना – अभियुक्तगणों को मा० न्यायालय द्वारा प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 20000 रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



Meticulous Investigation & Prosecution



#OperationConviction

मुरादाबाद पुलिस



पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के दृष्टिगत मुरादाबाद पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 21.12.2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-5, जनपद मुरादाबाद द्वारा "हत्या" के अभियोग में 03 अभियुक्तगण को दण्डित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- मु0अ0सं0- 214/2022 धारा 302/34 भा0द0वि0 व 3/25 आयुद्ध अधिनियम, थाना मैनाठेर, जनपद मुरादाबाद से संबंधित अभियुक्तगण 1.अकरम शेख पुत्र सत्तार नि0मदन असमौली जनपद सम्भल 2. कासिम पुत्र हसमत नि0 रायपुर खुर्द थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा 3.रिजवान पुत्र सल्लू उर्फ सकटू नि0 नहरोली थाना एचोड़ा जनपद संभल को मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



श्री रणजीत सिंह रावोर
(ए.डी.जी.सी.)



श्री कौशल कुमार
(ए.डी.जी.सी.)



निरीक्षक श्री तेजवीर सिंह
(विधेयक)



हे0का0 अनेकपाल
(पैरोकार)